उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या 2601/XVII(4)/2011/89/04
देहरादूनः दिनांक 22 दिसम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

वाह्य सहायतित परियोजना की सहायता से संचालित सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भिक बाल देख–रेख और शिक्षा (ई0सी0सी0ई0) केन्द्रो का समन्वित बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रो के साथ समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से संलग्नक–01 में उल्लिखित जनपदों में एक प्रशासनिक समिति का एतद्द्वारा गठन निम्नवत किया जाता है–

1–जिला परियोजना अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी।	–अध्यक्ष
2–अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)।	–सदस्य
3–जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0।	–सदस्य
4–सम्बन्धित विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी।	–सदस्य
5–सम्बन्धित विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी आई0सी0डी0एस0।	–सदस्य
6–सम्बन्धित न्याय पंचायत / संकुल संसाधन केन्द्रो के प्रभारी।	–सदस्य
7–जिला समन्वयक, ई0सी0सी0ई।	–सदस्य

2– उपर्युक्त योजना का मूल उद्देश्य है कि अपने घर पर छोटे भाई–बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदान की जाय। ऐसी बालिकायें सीमावर्ती स्कूलों में दाखिला लें तथा उनके छोटे भाई–बहनों की देख–रेख स्थापित किये जाने वाले ई0सी0सी0ई0 केन्द्रो में की जाय। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रो को ई0सी0सी0ई0 केन्द्रो के रूप में संचालित किया जायेगा उन केन्द्रो का संचालन समय ग्रीष्मकाल में प्रातः 8–12 बजे (चार घण्टे) तक तथा शीतकाल में प्रातः 10–2 बजे (चार घण्टे) तक होगा। इन केन्द्रो की आंगनबाड़ी कार्यकत्री केन्द्र संचालन के समय से एक घण्टा अतिरिक्त समय केन्द्र पर रूक कर अगले दिवस की कार्ययोजना तैयार करेंगी एवं सप्ताह में तीन दिन अभिभावकों से सम्पर्क करेंगी।

3– आंगनबाड़ी कार्यकत्री ई0सी0सी0ई0 केन्द्र का संचालन करेगी और उसकी केन्द्र सहायिका ई0सी0सी0ई0 केन्द्र का संचालन करेगी अर्थात दोनों के सहयोग से ही ई0सी0सी0ई0 केन्द्र संचालित होंगे।

4– प्रदेश के जिन आंगनबाड़ी केन्द्रो को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलाये जाने वाले ई0सी0सी0ई0 केन्द्रो का संचालन होगा वहां की कार्यकत्रियों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जायेगी।

5– सर्व शिक्षा अभियन परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक ई0सी0सी0ई0 केन्द्र को रू0 5000/– की धनराशि अनवर्तन अनुदान के रूप में तथा रू0 1500/– की धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप मे प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी। उपरोक्त धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री के निर्देश बाद में दिये जायेंगे।

6– आंगनबाड़ी कार्यकत्री का वह दायित्व होगा कि उनके आंगनबाड़ी केन्द्रो पर संचालित किये जाने वाले ई0सी0सी0ई0 केन्द्र का संचालन समुचित तरीके से हो तथा ई0सी0सी0ई0 केन्द्र में आने वाले बच्चों का अलग से लेखा–जोखा रखा जायेगा।

7– प्रत्येक आंगनाबाड़ी केन्द्र पर फलदार पेड़ जैसे अमरूद, पपीता, नींबू आदि के पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। इन पेड़ो की पौध क्रय करने पर आने वाला व्यय प्रस्तर–05 में वर्णित अनुदान से वहन किया जायेगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध भूमि के आधार पर अधिक से अधिक उक्त पेड़ों को लगाया जाय क्योंकि इन पेड़ो के फलों से लाभार्थियों को प्राकृतिक रू॰ से अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध हो सकेगा।

8– प्रत्येक जिला कार्यक्रम का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिले में इस योजना के संचालन हेतु समुचित पर्यवेक्षण करें और अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। योजना के पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

9– ई0सी0सी0ई0 योजनान्तर्गत चयनित आंगनबाड़ी केन्द्र अनिवार्यतः विद्यालय परिसर में विद्यालय समय के दौरान संचालित किये जायेंगे।

10– यह सुनिश्चित किया जायें कि आंगनबाड़ी/ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों को आई0सी0डी0एस0 विभाग एवं सर्वशिक्षा अभियान (शिक्षा विभाग) के द्वारा दिये जाने वाले प्री स्कूल किट एवं अन्य सामाग्री में किसी प्रकार की **Duplicity** न हों।

उपर्युक्त आदेश राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड देहरादून की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्या / **XVII(4)/2011/89/04** एवं तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी जनपद–अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, चमोली, देहरादून, चम्पावत एवं रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
3. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड के लिये शिक्षा परिषद, सर्व शिक्षा अभियन, देहरादून को उनके पत्र संख्या रा0प0नि0 / 1615 / ई0सी0सी0ई0 / 2011–12 दिनांक 14–9–2011 के कम में प्रेषित।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद–अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, चमोली, देहरादून, चम्पावत एवं रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
5. जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, जनपद–अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, चमोली, देहरादून, चम्पावत एवं रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव